भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5189

जिसका उत्तर 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

कोयला खनन कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

5189. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिलटॉप हायरिंग प्राइवेट लिमिटेड को माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल के आधार पर कोयला खनन का ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनी को साइटों के आवंटन सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए पर्यावरण अनुपालन तथा अन्य वैधानिक अनुमति आदेश एनओसी आदि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित परिवारों को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की आरएंडआर नीति, 2012 तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के अनुसार उनके पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) को हिलटॉप कंपनी द्वारा अनुबंध/बोली की शर्तों के उल्लंघन की जानकारी है, जिसमें कंपनी ने अपराधियों की मदद से ग्रामीणों की जमीन जबरन हड़पने का प्रयास किया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या बीसीसीएल का हिलटॉप कंपनी के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : माइन डेवलपर एंव ऑपरेटर (एमडीओ) ठेके के रूप में मैसर्स हिलटॉप हायरिंग प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया गया है।

(ख) : एनआईटी के प्रावधानों के अनुसार, बीसीसीएल की सीमित भूमि वास्तविक खनन प्रचालन से पूर्व प्रारंभिक अवसंरचना संरचना/सहायक कार्य के लिए खान प्रचालक को आबंटित की गई थी।

(ग) : सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमतियों की प्रक्रिया, खनन योजना के अनुमोदन के बाद शुरू की जाएगी।

(घ) : कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसे अनुमोदित खनन योजना पर आधारित खनन आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा।

(ङ) : खान प्रचालक द्वारा अनुबंध/बोली की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। तात्कालिक मामले में ग्रामीणों की जमीन जबरन हड़पने की कोई घटना नहीं हुई है।

(च) : यह सूचित किया गया है कि दिनांक 09.01.2025 को एक घटना हुई जो पूरी तरह से कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दा है और तदनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा राज्य सरकार द्वारा तदनुसार इसका निपटान किया जाएगा।

****